—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 7 / 2023

उनवान

1. छोटी पत्नी महावीर
2. भूरी पत्नी भगचन्द
3. ओम पुत्र भागचन्द
4. मंगलचन्द पुत्र भागचन्द
5. सुभाष पुत्र भागचन्द समसत जाति नाई निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री मदनपुरी गोस्वामी

बनाम

1. रामदेव पुत्र छोटू
2. लाला पुत्र रामदेव समसत जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित, 3 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955

—: निर्णय :—   दिनांक :—25.11.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5005 रकबा 0.22 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा वादीगण द्वारा प्रतिवदीगण को बांटे पर काश्त करने के लिये दी गयी। जिसका बांटा प्रतिवादीगण प्रति वर्ष नियमानुसार देते रहे। इस वर्ष वादीगण ने स्वयं काश्त करने की बात कही तो प्रतिवादीगण्र ने जबरन भूमि पर कब्जा कर लिया तथा वादीगण को उकत आराजी पर कभ भी नही आने की धमकी दी। प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5005 रकबा 0.22 की आराजी वादीगण की खातेदारी की है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादीगण के नाम सह खातेदारी में अंकित है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद को कोई खण्डन पेश नही किया है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व वाद के कथनों से प्रकरण वादीगण के पक्ष में सिद्व होता है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही होने से वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बेदखली प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5005 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवाद संख्या 1 व 2 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छोटी बनाम रामदेव

दावा बाबत :– 188, 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 07 / 2023
पेश करने की दिनांक – 03.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मदनपुरी गोस्वामी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5005 रकबा 0.22 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवाद संख्या 1 व 2 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 11 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested